

11-5-18 पंजावली ठाण पेक्षा हुई। वनील वादी उपास्थिते। प्रतिवादीगण की लम्बी करिये रवि. गरी. के हो चुकी है। पंजावली वारहे अग्रिम कार्यवाही हेतु कॅम्प कोर्ट सराय में दिनांक 6-6-18 को पेश हो।

6-6-18 पंजावली ठाण कॅम्प कोर्ट सराय में पेश हुई। पंजावली का अग्रिम कान विभा गया। शरस्व रिकार्ड पंजावली सेवत 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम सराय की सरहद में भूमि ख.नं. 168, 169, 170, 197, 198, 597/202 जिला 2 ज्युल 2008 उ. 20 है। ठावास्थिते है। उक्त वर्तित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी के. 1 लगायत 5 की संयुक्त स्वातन्त्र्य की भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो सका है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण शरस्व रिकार्ड में दर्प हिससा एवं कब्जा के अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है।

### आदेश

वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रामाणिक डिब्बी इस आशय की दी जाती है कि ग्राम सराय की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि ख.नं. 168, 169, 170, 197, 198, 597/202 जिला-2 ज्युल 2008 उ. 20 है। का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य शरस्व रिकार्ड में दर्प हिससा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान शरस्वते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवादी उग्रमपक्षों की उपास्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतिमा में न्यायालय हाथ में प्रस्तुत करें। डिब्बी पेश जारी हो।

पंजावली फौजल शुमार होकर नम्बर के काम हो तथा बाद तकमील हाशिल दफतर हो।

निर्णय ठाण दिनांक 6-6-18 को कॅम्प कोर्ट सराय में सुकामा गया।

उपखण्ड अधिकारी ।  
उदयपुरवादी (सुभार)